रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052022-236014
CG-DL-E-25052022-236014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2022/ज्येष्ठ 4, 1944
No. 273] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2022/JYAISTHA 4, 1944

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) (संशोधन) विनियम, 2022

फा.सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (च) और धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए नामतः निम्नलिखित विनियम बनाता है,

1. इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाएगा ।
2. ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 में :-

विनियम 21 के उप-विनियम (2) में निम्नलिखित प्रावधान को जोड़ा जाएगा :-

उपर्युक्त के बावजूद, अध्यक्ष को उक्त वार्षिक रिपोर्ट प्रपत्र को आवश्यकतानुसार संशोधित करने, अंतिम रूप देने और अनुमोदित करने की शक्ति सौंपी गई है।

सुप्रतिम बन्द्योपाध्याय, अध्यक्ष
[विज्ञा-III/4/असा/90/2022-23]

पाद टिप्पणी :

1. मुख्य विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 भारत के राजपत्र में दिनांक 29 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1 के माध्यम से प्रकाशित हुआ।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2022

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (REDRESSAL OF SUBSCRIBER GRIEVANCE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

F.No. PFRDA/12/RGL/139/1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clause (d) of sub-section (2) thereof and clause (f) of sub-section (2) of Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 namely, -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) (Amendment) Regulations, 2022.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015: -

In sub-regulation (2) of Regulation 21 the following proviso shall be added: —

Notwithstanding the above, Chairperson is delegated with the power to modify, finalize and approve the said annual report format as and when needed.

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson
[ADVT-III/4/Exty./90/2022-23]

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 29th January, 2015 vide notification No. PFRDA/12/ RGL/139/1.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.25 16:20:31 +05'30'